कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालयृ आदेश

श्री श्यामलाल कुमावत वरिष्ठ अध्यापक राउमावि आसरलाई, जैतारण, पाली का पदस्थापन सत्र 2019–20 की डीपीसी से पदौन्नति फलस्वरूप राउमावि वोपारी,मारवाड जंक्सन, पाली में किया गया था। अपने पदस्थापन के विरूद्ध याची ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 3882/2020 श्यामलाल कुमावत बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.07.2020 में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये है।

याचिकार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि काउंसलिग के समय राउमावि रामपुरा कलां पाली में पद रिक्त पद होने पर भी उक्त पद को काउंसलिग के समय प्रदर्शित नहीं करने, पदस्थापन स्थान निवास स्थान से 100 किमी दूर होने, वृद्व माताजी के देखभाल की जिम्मेवारी स्वयं पर होने तथा पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि देवरिया, जैतारण पाली/राउमावि लिलाम्बा, रायपुर,पाली अथवा राउमावि बिराटिया, रायपुर ,पाली में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि रिक्तियों का निर्धारण विभागीय नियमानुसार एवं छात्रहित/राज्यहित को देखते हुए किया जाता है तथा याची का पदस्थापन काउसलिंग के माध्यम से स्वय के सहमति पत्र के आधार पर पाली जिले में ही किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। याचिकार्थी अपने पदस्थापन स्थान पर दिनांक 27.06.2019 को कार्यग्रहण कर चुका है। अतः अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है। अतः याची का अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है । सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों ।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक : 02/09/ 2020

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–6/**याचिका –3882/2020**/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
3. संबंधित कार्मिक......................।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर